



निगरानी प्रकरण क्रमांक / 2013-14

प्रस्तुति दिनांक / / 2013

रा.रा. श्रीमान राजस्व मण्डल, छवालियर, केम्प इंदौर (म.प्र.)

निः ५५२०-१-१३

दामोदर पिता स्व श्री सूरजमल अग्रवाल,
आयु-54वर्ष, धंधा-किराना की दुकान,
निवासी-4, ग्राम किशनगंज, तह महू, जिला इंदौर म प्र प्रार्थी/निगरानीकर्ता
श्री प्रार्थी/अभिभाषक द्व.रा दिनांक 22/10/13
को प्रस्तुत

विरुद्ध

म. प्र. सड़क विकास निगम लि, तर्फ संभागीय प्रबंधक
संभाग क्र 1, इंदौर, ऑ-पी डब्ल्यू डी ऑफिस कैम्पस,
नवनीत टॉवर के सामने, ग्रेटर कैलाश रोड,
ओल्ड पलासिया, इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) ८७५/२२-१२०३ प्रतिप्रार्थी/उल्लार्थी

27/11/13

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से सादर निवेदन है कि :-

यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर जिला इंदौर (म.प्र.) पीठासीन अधिकारी श्री आकाश त्रिपाठी साहब के द्वारा प्रकरण क्र. / अपील / 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 29.08.2013 से व्यथित हो यह निगरानी निम्न एवं अन्य अनेकानेक विधिक आधारों पर निम्नानुसार सादर प्रस्तुत है कि -

प्रकरण के तथ्य

यह कि प्रतिप्रार्थी द्वारा निगरानीकर्ता के स्वमित्व एवं आधिपत्य का मकान ग्राम किशनगंज, महू जिला इंदौर जो कि पूर्व आगरा-बाम्बे रोड एन.एच.-3, के समीप स्थित है, के संदर्भ से एक सूचना-पत्र क्रमांक 2158/राउ-महू-मण्डलेश्वर/म प्र स वि नि/2012, इंदौर, दिनांक 28/12/2012 का सूचना-पत्र म प्र राज्यमार्ग अधिनियम 2004 की धारा 34(1) के अंतर्गत तथाकथित अनाधिकृत अतिक्रमण हटाने बाबद प्रेषित किया गया था जबकि निगरानीकर्ता द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य कर अपना मकान निर्मित नहीं किया है ना ही किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण किया है और ना ही पूर्व में ऐसा कोई सूचनापत्र निगरानीकर्ता को प्राप्त हुआ है। उक्त सूचनापत्र निगरानीकर्ता को दिनांक 18/01/2013 को प्राप्त हुआ है। जिससे परिवेदित हो निगरानीकर्ता के द्वारा समयावधि अवधि, राजस्व मुख्य दिनांक 24.01.2013 को श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर म प्र के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा - 35 म प्र राज्यमार्ग अधिनियम 2004 के तहत अपने मकान की भूमि के स्वामित्व का दावा करते हुए प्रस्तुत की गई।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, इंदौर म प्र के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व प्रतिप्रार्थी/रेस्पॉन्डेंट के उक्त सूचना-पत्र का समुचित



29.04.2014

राज्य अधिकारी की अधीन सभी
अधिकारी कलाप आवेदनाधारक उपलब्धित।
इनके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत
कर प्रकाश लखम मासान्वय में
प्रस्तुत करने हेतु बारिश किये
जाने का अनुरोध किया गया।
अनुरोध कीकार किया जाता है।
इस प्रकाश में कोई कार्यवाही
प्रकाश कार्यक्रम की भाँति के कारण
शोष रही होने से समाप्त
किया जाता है।

राज्य अधिकारी
29-4-14
संख्या 150/.../...

गोपनीय अधिकारी
राज्य प्रतिलिपि

अवर सचिव, राजस्व भण्डार
नव. न्यालिङ्गर (म.प्र.)